

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2252
उत्तर देने की तारीख-05/08/2024

स्कूली शिक्षा के साथ-साथ कौशल प्रशिक्षण

2252. श्री इमरान मसूद:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुसार शिक्षा पूरी करने के बाद अथवा शिक्षा के साथ-साथ कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है;
- (ख) यदि हां, तो देश भर में कौशल विकास को अनिवार्य बनाने के लिए तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ग) कौशल विकास के अंतर्गत चिह्नित उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन्हें प्रारंभिक चरण में अनिवार्य बनाया जाना है;
- (घ) क्या सरकार की उन छात्रों को रोजगार प्रदान करने की कोई योजना है जो अपने अध्ययन के दौरान कौशल विकास के किसी क्षेत्र को चुनते हैं; और
- (ङ) क्या सरकार की अल्पसंख्यक, दलित अथवा मलिन बस्ती और पिछड़े-बहुल क्षेत्रों में कौशल विकास की विशेष कक्षाएं चलाने की कोई योजना है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): भारत सरकार द्वारा छात्रों के समग्र विकास के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की शुरुआत की गई। एनईपी में सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में अनिवार्य विषयों और कौशल संबंधी पाठ्यचर्या के एकीकरण की परिकल्पना की गई है, ताकि व्यावसायिक शिक्षा के लाभों के बारे में जागरूकता के साथ-साथ विभिन्न व्यवसायों हेतु आवश्यक व्यावसायिक कौशल प्रदान किया जा सके।

एनईपी 2020 के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में यह निर्धारित किया गया है कि स्कूलों द्वारा छात्रों को विभिन्न प्रकार के कार्यों की एक व्यापक और अनुभवात्मक जानकारी प्रदान करने के साथ व्यावहारिक दक्षताओं का एक गहन और निर्धारित सेट विकसित किया जाना चाहिए।

इसके अलावा, राष्ट्रीय क्रेडिट रूपरेखा (एनसीआरएफ) को एक व्यापक क्रेडिट रूपरेखा के रूप में शुरू किया गया है, जिसमें प्रारंभिक, स्कूल, उच्च और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, विभिन्न आयामों अर्थात् प्रासंगिक अनुभव और अर्जित दक्षता/पेशेवर स्तर सहित शैक्षणिक, व्यावसायिक कौशल तथा अनुभवात्मक शिक्षा में अधिगम क्रेडिटेशन को एकीकृत किया जाना शामिल है। एनसीआरएफ को अन्य के साथ-साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है और इसमें मूल्यांकन के अध्यक्षीन सभी शिक्षण एवं असाइनमेंट के क्रेडिटेशन, संचयन, भंडारण, क्रेडिट के अंतरण तथा उपयोग का प्रावधान किया गया है; यह अंतर को समाप्त करता है एवं व्यावसायिक और

सामान्य शिक्षा के अंदर और बीच में गतिशीलता को सक्षम बनाते हुए अकादमिक समतुल्यता स्थापित करता है।

युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने आईआईटी मद्रास और प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों के साथ मिलकर दिनांक 27 फरवरी, 2024 को स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म शुरू किया है, जो उद्योग की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें शामिल करने तथा शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनी पेशकश का विस्तार करेगा। यह प्लेटफॉर्म छात्रों/शिक्षार्थियों को अग्रणी उद्योग और शिक्षा जगत से उच्च गुणवत्तापूर्ण अधिगम और प्रमाण-पत्र कार्यक्रम प्रदान करता है, जो उन्हें पुनः कौशल विकास और कौशल उन्नयन में मदद कर सकता है तथा उन्हें रोजगार के लिए तैयार कर सकता है। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी मद्रास ने प्रतिष्ठित उद्योग भागीदारों के साथ 37 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। दिनांक 12 जुलाई, 2024 तक उक्त प्लेटफॉर्म पर 187 पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं।

उच्चतर शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय इंटरशिप पोर्टल शुरू किया है। इसके द्वारा छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे एम्बेडेड इंजीनियरिंग, एआई, रोबोटिक्स, वेब डेवलपमेंट, शहरी शासन आदि में अपने कौशल को बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाता है। पोर्टल पर 11,000 से अधिक संस्थान, 75,000 कंपनियां और 1.98 करोड़ छात्र पंजीकृत हैं और दिनांक 1 अगस्त, 2024 तक 50 लाख से अधिक इंटरशिप की पेशकश की गई है।

इसके अतिरिक्त, शिक्षा मंत्रालय ने कार्य-संबंधी कौशल प्रदान करने और युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) लागू की है। विगत 5 वर्षों में एनएटीएस योजना द्वारा 8.68 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को रोजगार मिला है। मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के दौरान एनएटीएस योजना के तहत प्रशिक्षुओं के नियोजन हेतु वजीफा अनुदान के रूप में 460 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
